न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या-- 19/22 सन् 2022
आरसीएमएस संख्या 2022/96

बउनवानी :— 1. महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार जाति ब्राह्मण नि0 ग्राम मित्रपुरा तह0बौंली

बनाम

1. प्रभू पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
2. कन्हैया पुत्र रामपाल बैरवा निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
3. रामलाल पुत्र रामपाल बैरवा निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
4. मोहन सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
6. विरेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
7. धमेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
8. तारा कंवर पत्नि दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
9. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
10. लैण्ड होल्डर तहसीदार बौंली/मित्रपुरा
11. आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द माली निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
12. ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल महावर निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा
13. श्री बदरी नारायण मीना, आर.ए.एस., उपजिला कलेक्टर बौंली

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपजिला कलेक्टर बौंली मे जैरकार प्रकरण संख्या 71/2018 उनवानी मोहन सिंह बनाम प्रभू वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री राधेश्याम वैष्णव, श्री भगवान दास माली — वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक 04.01.2023

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 71/2018 उनवानी मोहन सिंह बनाम प्रभू वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तहत न्यायालय में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,89 आर.टी.एक्ट के तहत शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश गया है उक्त वाद पत्र के साथ एक टी.आई.प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. साहब बौंली द्वारा दिनांक 21.12.2018 को स्वीकार कर आप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक भूमि के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करने एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति रखने ... के आदेश पारित किये गये तथा वाद पत्र विचारण न्यायालय में लंबित है। यह तर्क ... कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.5.2022 को तहत न्यायालय मे इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया ... मोहन सिंह विगत एक माह से बीमार चल रहा है तथा चलने फिरने की स्थिति मे नही है ... श्रीमान के न्याया... छोटी छोटी तारीख पेशी दी जा रही है इसलिए ... लंबी तारीख पेशी ... । इस पर पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा यह ... कि इस प्रकरण को मुझे एक माह मे निस्तारण करना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.08 17:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि प्रार्थी मोहन सिंह वगै. द्वारा 2018 मे वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था जिसमे वादी को दिनांक 9.2.2022, 2.3.22, 15.3.22, 25.3.2022, 4.4.2022, 8.4.2022 तक दस्तावेज पेश करने को अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 22.4.2022 को दस्तावेज पेश किया है तथा दिनांक 13.5.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी मोहन सिंह को गम्भीर बिमार बताते हुए लम्बी तारीख पेशी लेने का बहाना बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन यह भलिभांति स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार प्रकरण मे देरी करने की गरज से तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या एवं निराधार आरोप लगाते हुए श्रीमान के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण में वादी को साक्ष्य वादी हेतु दो माह 5 दिवस (7.6.22, 24.6.2022 एवं 18.7.2022) के अन्दर कुल तीन अवसर प्रदान किये जा चुके है। वादी द्वारा साक्षयवादी प्रस्तुत नही कर श्रीमान के न्यायालय मे मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रकरण 5 वर्ष पुराना होने के कारण राज्य सरकार एवं राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार नजदीकी तारीख पेशी लगायी जाती है इसमे कोई राजनैतिक दबाव नही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही कानूनी तथ्यों को मध्येनजर रखकर न्यायसंगत आदेश प्रतिपादित किया जाता है। यदि उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य, सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है किसी के दबाव मे नही किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की विधिवत सुनवायी की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।
निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.08 17:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner